The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (I)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शक्रवार, अप्रैल 28, 2006 विशाख 8, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2006/VAISAKHA 8, 1928

No. 178]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 259(अ).-भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 190(अ) शुद्धिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2006 में, सिगरेट और अन्य तम्बाकु उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन)(संशोधन)] नियमावली, 2005 और सिगरेट और अन्य तम्बाक् उत्पाद [(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन)(दसरा संशोधन)] नियमावली, 2005 में दिन, माह और वर्ष "1 मई, 2006". के स्थान पर "1 अगस्त, 2006" प्रतिस्थापित किया जाए।

> [फा. सं. पी-16012/1/2005-पीएच] भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th April, 2006

G.S.R. 259(E).-In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 190 (E) Corrigendum dated 31st March 2005, to the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce. Production, Supply and Distribution) (Amendment)] Rules, 2005 and the Cigarettes and other Tobacco Products [(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Second Amendment)] Rules, 2005 published in the Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India. Extraordinary for the day, month and year "1st day of May, 2006", the day, month and year "1st day of August, 2006" may be substituted.

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

1286 GI/2006